

किरायानामा

- प्रथम पक्षकार :- स्वाती धाकड़ (वयस्क) पुत्री श्री परस लाल धाकड़ निवासी-135 विदिशा रोड, गोल्डन फ्यूचर स्कूल के सामने, शिव नगर कालोनी, भानपुर हुजूर, भोपाल (म.प्र.) आधार नं. 2990 0136 3298
- द्वितीय पक्षकार :- अंकित (वयस्क) पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी- 393, 1, काली मंदिर के पास, टीलाजमालपुरा, भोपाल (म.प्र.)
- किरायेदारी प्रतिमाह :- रुपये 13,000/- (तेरह हजार रुपये मात्र)
- किरायेदार की अवधि :- ग्यारह माह
- डिपोजिट राशि :- 26,000/- (छब्बीस हजार रुपये मात्र) एक माह का रनिंग एवं एक माह का एंडवास

:- किरायेदारी सम्पत्ति (दुकान) का विवरण :-

यह कि प्रथम पक्षकार के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य का एक मकान के द्वितीय तल पर स्थित ऑफिस जो मकान नं. 12, मॉ सरस्वती कालेक्स, न्यू कांकडा अंलकार हाईट्स के पास, करोंद, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है जो कि पक्की आर.सी.सी. छतदार निर्मित है ऑफिस का साईज़ 800 वर्गफिट है, जिसमें द्वितीय पक्षकार द्वारा ऑफिस/कार्यालय संचालित किया जायेगा। जिसको किराये पर दिया जा रहा है।

किरायेदारी की शर्तों का विवरण

1. यह कि उपरोक्त वर्णित संपत्ति प्रथम पक्षकार के निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। उपरोक्त किरायाधीन सम्पत्ति किरायेदार को बतौर किराये पर माहवारी किराया रुपये 13,000/- (तेरह हजार रुपये मात्र) की दर से किराये पर दी गयी है जिसका लिखित किरायानामा आज दिनांक को किया जा रहा है।
2. यह कि किरायेदारी प्रत्येक माह की 01 तारीख से शुरू होकर उसी माह की अंतिम तारीख को समाप्त होगी।
3. यह कि किरायाधीन भाग दिनांक 01/12/2025 से किराये पर दिया जा रहा है किरायाधीन अवधि समाप्त होने के बाद अनुबंध दोनों पक्षों की सहमति होने पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।
4. यह कि किरायाधीन भाग दिनांक 01/12/2025 से किराया राशि 13,000/- रुपये में दिया जा रहा है लेकिन 01/02/2026 से किराया राशि 15,000/- रुपये किरायेदार द्वारा मकान मालिक को प्रतिमाह भुगतान कि जायेगी जिसमें दोनों पक्षकार की पूर्ण सहमति है।
4. यह कि किरायेदार प्रत्येक माह की 01 से 05 तारीख के बीच किराया राशि अदा करेगा।
5. यह कि किरायाधीन भाग में बिजली का बिल, पानी का बिल, सफाई का खर्च किरया राशि में सम्मिलित है।
6. यह कि जब भी किरायेदार उक्त किरायाधीन भाग को खाली करना चाहेंगे वह प्रथम पक्षकार को एक माह पूर्व इसकी सूचना देकर ही किरायाधीन भाग खाली कर सकेंगे, एवं खाली करने के पूर्व के समस्त बकाया राशि आदि का भुगतान करना होगा।